

**राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान,
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
दुर्गापुरा-जयपुर**

तकनीकी विवरण पत्र:- कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति

**ई-निविदा क्रमांक 333 दिनांक 28.05.2025
निविदा खोलने की दिनांक 11.06.2025 दोपहर 03.00 बजे**

आज दिनांक 11.06.2025 को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर पर ई-निविदा सूचना संख्या 333 दिनांक के 28.05.2025 के क्रम में कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति के लिए आमंत्रित निविदाओं के क्रम में क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यालय में 01 निविदादाताओं द्वारा सील बन्द लिफाफे में निविदाएं प्राप्त हुई। निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	दस्तावेज	मैसर्स ट्रिग एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बी-173, जमुनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर
	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	हाँ
	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	हाँ
	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	हाँ
	वस्तु एवं सेवा कर (GST)	हाँ
	आय कर (पैन नम्बर)	हाँ
	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	हाँ
	निविदा प्रपत्र	हाँ
	धरोहर राशि	हाँ
	ई-निविदा प्रपत्र शुल्क	हाँ
	प्रोसेसिंग फीस	हाँ
	र्टन ओवर	हाँ
	प्रपत्र अ-य	हाँ

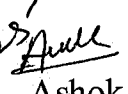
उपरोक्त तुलनात्मक तकनीकी विवरणिका तैयार करने पर गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त फर्म सफल पाये जाने पर कमेटी द्वारा सफल फर्म की वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त मैसर्स ट्रिग एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कॉ-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बी-173, जमुनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर की वित्तीय निविदा खोलने के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुशंसा करती है।

उक्त के संबंध में वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पत्र क्रमांक 2246 दिनांक 21.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-68 के अन्तर्गत उपापन संस्था पूर्णरूपेण सक्षम है।

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-68 के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात समिति ने यह पाया कि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के जारी करते समय प्रतियोगिता को बढ़ावा देने वाली समस्त आवश्यक अपेक्षाएं जैसे कि मानक बोली शर्तें, उद्योगपरक विनिर्दिष्टताएं, विस्तृत प्रचार, बोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय इत्यादि को पूरा किया गया था। इसलिए मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी निविदा को स्वीकृत करते हुए वित्तीय निविदा को 24.06.2025 को खोलने की अनुशंसा करती है।


R.K. Bagri

Convenor


Ashok
Choudhary
Comptroller
Nominee


R.C. Meena

Member


M.R. Yadav

Member


Lokendra
Singh
Member


Submitted for approval

Director, RAQS

Approved
Hus
23/6/25